

बिहार सरकार  
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग  
अधिसूचना


संख्या:-8/आ0 (राज0उ0)-2-11/2017...4434/श्री राजकिशोर प्रसाद, निरीक्षक उत्पाद, रोहतास द्वारा जिले में अवैध शराब के निर्माण तथा चौर्य बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में असफल होने के कारण रोहतास जिला अन्तर्गत कछवा थानाक्षेत्र के दनवार गांव में जहरीली शराब पीने से चार लोगों की मौत होने की घटना घटित हुई है। अतएव कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही तथा प्रभावी पर्यवेक्षण के अभाव के आरोप में श्री प्रसाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 9 (1) (क) एवं (ग) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 (1) के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगी।

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय-सहायक आयुक्त उत्पाद का कार्यालय, भोजपुर निर्धारित किया जाता है।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


  
(अभय राज)

सरकार के विशेष सचिव  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:- 29.10.17

ज्ञापांक:-8/आ0 (राज0उ0)-2-11/2017 4434


प्रतिलिपि:-अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग ई-गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

  
सरकार के विशेष सचिव  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:- 29.10.17

ज्ञापांक:-8/आ0 (राज0उ0)-2-11/2017 4434

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, रोहतास/जिला कोषागार पदाधिकारी, रोहतास/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद-सह-निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/जिला पदाधिकारी, भोजपुर/सहायक आयुक्त उत्पाद, भोजपुर/जिला कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर/राजपत्रित स्थापना प्रशाखा-5/आई0टी0 मैनेजर एवं श्री राजकिशोर प्रसाद, निरीक्षक उत्पाद, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के विशेष सचिव  
बिहार, पटना।

